

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी-डॉ एस.पी.सिंह (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या- 100/2017

बउनवान

श्रीमती धन्नीबाई पत्नी श्री लक्ष्मीनारायण आयु-60 वर्ष जाति-मेघवाल
निवासी-नारेडा, तहसील-बारां, जिला-बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, बारां

(रेस्पॉडेंट)

अपील धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :-1. श्री विरेन्द्र गौतम, अभिभाषक
2. परोकार सरकार

(अपीलांट)
(रेस्पॉडेंट)



निर्णय दिनांक- 11.10.2018

अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 19.03.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम नारेडा, तहसील-बारां की आराजी खसरा नम्बर 823 रकबा 0.96 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 480/-रूपये अर्धदण्ड एवं 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं विधि के संचालन एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध होने से निरस्त किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई एवं जवाबदेही के लिए अपील को सुनवाई को अपीलांट का अतिक्रमण करना एकतरफा आदेश पारित किया है। कोई सरकारी तावान रकबा कब्जा नहीं है ना ही अपीलांट की ओर त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एकपक्षीय एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.03.2014 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर अपीलकर्ता को जयें सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय को जयें अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक परोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नहीं देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

जिला कलक्टर
बारां (राज.)

जवाबदेही का अवसर दिये बिना एवं बिना जवाबदेही के

अपीलांट को हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर पश्चात्कर्ती मानकर सजायाब किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्कर्ती बाबत कोई साक्ष्य सबूत, स्वतंत्र गवाहान के बयान एवं पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्कर्ती नहीं घोषित किया जा सकता। विवादित आराजी से अपीलांट ने कब्जा छोड़ दिया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत परोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्कर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर सम्वत् 2058 में भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बारां ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी सरकारी चारागाह भूमि है जिसपर अपीलांट पश्चात्कर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर अतिक्रमण करने पर सम्वत् 2058 में भी बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त प्रश्नगत आराजी पर सुनवाई प्रदान की जाये जाने के फलस्वरूप ही सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बारां के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता।

परिणामस्वरूप, अपीलांट को खारिज करने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा अपील संख्या 195/2014 में पारित आदेश दिनांक 19.03.2014 को यथावत रखे जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2014 को सुनाया गया। इजलास लिखाया जाकर



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

